न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 66/2014

बउनवान

रामभरोस आयु 45 वर्ष पुत्र धन्नालाल, जाति मेहर निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. सीताराम आयु 35 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मेहर निवासी सुन्दलक
2. जमनालाल आयु 40 वर्ष पुत्र केदारलाल जाति मेहर निवासी सुन्दलक
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील बनराजगी आदेश तहसीलदार बारां दिनांक 04.07.2011
अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)

उपस्थित :– 1.श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अपीलांट)
2.श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 15.02.2023

सीताराम पुत्र रामकरण एवं जमनालाल पुत्र केदारलाल जातिगण मेहर निवासीगण सुन्दलक द्वारा अपने खातेदारी की आराजीयात में आने जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली ले जाने का आम रास्ता व रामभरोस पुत्र धन्नालाल जाति मेहर निवासी सुन्दलक द्वारा बन्द किये जाने के आधार पर रास्ता पुनः चालू कराने हेतु तहसीलदार, बारां को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार, बारां द्वारा अप्रार्थी रामभरोस को तलब कर बाद सुनवाई प्रार्थी का रास्ता मौके पर होना प्रमाणित माना तथा उसकी कृषि भूमि खसरा नंबर 805 पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के आदेश अप्रार्थी को दिए।

इससे अप्रसन्न होकर अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील पर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 28/2012 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 31.05.2013 से अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2011 यथावत रखा गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी पेश की जो प्रकरण संख्या निगरानी/टी.ए./5100/2013/बारां पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 09.04.2014 से स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विधि के प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 09.04.2014 से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्देश की पालना में उभयपक्षकारान जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 2/2010

बउनवान सीताराम बनाम रामभरोस निर्णय दिनांक 04.07.2011 तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण स्वंय अनुपस्थित रहने पर हमने प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251 आर0 टी0 एक्ट के तहत सर्वप्रथम पूर्ववर्ती रास्ते को खुलासा कराये जाने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 45 दिवस में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाता है तो निस्तारण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किया जावेगा तथा धारा 251 आर टी0 एक्ट के अन्तर्गत पूर्ववर्ती रास्ते को ही खुलासा कराया जा सकता है कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे और बिना समुचित साक्ष्य लिये और बिना परिस्थितियों का नक्शे का व स्थितियों का आंकलन किये जो निर्णय पारित किया है वह सर्वथा गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विवादित आराजीयात पुश्तैनी हैं। राजस्व रेकार्ड में पूर्व से कोई रास्ता नहीं है वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2011 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जावे कि रेस्पोडेन्ट को खेतों के दक्षिणी ओर से स्थित सरकारी भूमि में से जो रास्ता है उसी का उपयोग करने का आदेश दिया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। भू अभिलेख निरीक्षक बारां मु0 सुन्दलक की रिपोर्ट दिनांक 01.12.2010 से साबित है कि रेस्पोडेन्ट के पिता केदारलाल, रामकरण के खाते में आराजी खसरा नंबर 805 है जिस पर जाने हेतु खसरा नंबर 742 व 806 में से रास्ता रेस्पोडेन्टगण चाहते हैं। भू अभिलेख निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नंबर 806 व 742 के मध्य मेड़ पर पगडण्डी बनी है व गडार के निशानात नही है। प्रथमतः खसरा नंबर 806 के खातेदार को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा बिना उसकी सुनवाई किए अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। मौके पर सिर्फ पगडण्डी बनी होना भू अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में बताया है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आने जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली आदि कृषि यन्त्र लाने ले जाने का आमरास्ता बना होना बताया था जिसकी ताईद मौके से नहीं होती।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2/2010 बउनवान सीताराम बनाम रामभरोस निर्णय दिनांक 04.07.2011 निरस्त किया जाता है तथा [illegible] के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 8[illegible] खातेदार को भी प्रकरण में पक्षकार बनाकर समस्त पक्षकारों की विधिनुरूप [illegible] निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.20[illegible] को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)